प्रेषक,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
लखनऊ।

सेवा में,

1—समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता,
उत्तर प्रदेश।

2— समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,
सहकारिता,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 38254—58/वसूली/17—18 दिनांकः 12.05.17

महोदय,

अवगत कराना है उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा बकाये धनराशि की वसूली हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर प्रदेश की विभिन्न मण्डलों की समीक्षा बैठक के दौरान सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों द्वारा मुख्य रूप से यह अवगत कराया गया है कि उन्हें वसूली की प्रक्रिया में विभागीय अमीनों का सकारात्मक सहयोग अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे बैंक के बकाये की वसूली प्रभावित हो रही है।

आप अवगत है कि शासन द्वारा वर्तमान समय में फसली ऋण माफी का निर्णय लिये जाने के कारण विभागीय अमीनों के पास अपेक्षाकृत कार्य की उपलब्धता नहीं होगी, परिणाम स्वरूप यदि विभागीय अमीनों द्वारा इस बैंक के शाखा प्रबन्धकों के साथ सहयोग कर वसूली के प्रयास किये जायेगें, तो अमीनों के पास कार्य की उपलब्धता हो जायेगी साथ ही साथ बैंक की वसूली पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अतः आप से अनुरोध है कि विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान अपने नियन्त्रणाधीन कार्यरत बैंक के शाखा प्रबन्धकों के साथ बैंक के बकाये धनराशि की वसूली की भी नियमित रूप से समीक्षा कर लें, और शाखा प्रबन्धकों की मॉग के अनुसार सहकारी अमीनों को वसूली हेतु शाखाओं का आवंटन करते हुए उनसे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली का कार्य सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

ह0/—
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने जनपद/मण्डल के सहायक आयुक्त/सहायक निबन्धक, सहकारिता एवं संयुक्त आयुक्त/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता से निरन्तर सम्पर्क में रहें और उपरोक्तानुसार सहकारी अमीनों का आवंटन अपनी शाखाओं हेतु कराते हुए उनके साथ पूर्ण मनोयोग से वसूली का कार्य सम्पादित करने का कष्ट करें, साथ ही सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता के निर्धारित विभागीय बैठकों में उपस्थित होकर बैंक की प्रगति से उन्हें अवगत कराते रहें।

2—समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0केन्द्र लखनऊ, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3—उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर) उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0 को बैंक की शाखाओं को ई—मेल करने हेतु।

ह0/—
(ए0के0 शुक्ला)
महाप्रबन्धक(वसूली)